तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिषियल्य जज राजस्व मूल वाद संख्या :– 95ए/2023 धारा 188 तेजाराम बनाम केवलराम	विवरण
16.01.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश संख्या 7 नियम 11 सी.पी.सी. रेडवील धारा 151 सी.पी.सी. का पेंश किया गया। जिसकी नकल वादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। वादीगण अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किया। प्रार्थना पत्र सीधे बहस करने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह बताया कि वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है,जो वाद विधि द्वारा वर्जित है वादी द्वारा उक्त वाद मे ग्राम सतलाना के खसरा नम्बर 635/1 जो आबादी भूमि है मे अपने पिता के नाम से पटटा जारी होने का कथन कर उक्त भूमि बाबत अपने अधिकारो की रक्षा हेतु निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जबकि आबादी भूमि बाबत किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है ऐसी स्थिति मे वादी का वाद द्वारा पूर्णत वर्जित होने के कारण वाद पत्र नामजूर किये जाने योग्य है। राजस्व न्यायालय के दावा सुनने का क्षेत्राधिकार नही हैं क्योकि उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं हैं। इस कारण वादीगण का श्रीमान को सुनने का क्षेत्राधिकार नही होने के कारण खारिज किया जाने का निवेदन किया गया। वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह निवेदन किया कि वादी के खेत खसरा नम्बर 635/1 रकबा 0.9389 हैक्टर मोजा ग्राम सतलाना तहसील लूणी मे आई हुई है जिसमे वादीगण सपरिवान निवास करता है तथा खसरा नम्बर 365 जो गै,मु,रास्ता के रूप मे दर्ज है जहा मौके पर वादी व गॉव के सभी लोगो का आना जाना होता है जबकि प्रतिवादी सख्या 1 जबरदस्ती रास्ते पर पक्का निर्माण कर रहा है उक्त भूमि आज भी जमाबन्दी मे गै,मु,रास्ते के रूप मे दर्ज है एव इस सक्षम न्यायालय मे वादी को वाद दायर करने हेतु स्वतत्र है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी का खारिज योग्य होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एव जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष ने अपने बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र एव इसके अलावा आबादी भूमि बाबत किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी करने का क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार दिवानी न्यायालय को हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से बाधित होने के कारण वाद खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	